विभाग का नाम :	पंचायती राज
प्रश्न संख्या अतारांकित :	1209
उत्तर की तिथि :	17.09.2020
विषय :	अलग पंचायतें
प्रश्नकर्ता का नाम :	श्री सतपाल सिंह रायजादा (ऊना)
सम्बन्धित मन्त्री :	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री

प्रश्न :	उत्तर :
(क) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ऊना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी गावों में कितनी–कितनी जनसंख्या थी; ब्यौरा गांववार, महिला व पुरूष की संख्या सहित दें; और	सूचना अनुबन्ध "क" पर संलग्न है।
(ख) वर्तमान में ऐसे कितने गांव हैं जो सरकार के मापदंड के अनुसार अलग पंचायत बनने के नॉर्मज को पूरा करते है, परन्तु उनकी अलग पंचायत नहीं बनाई गई; ब्यौरा दें?	

अनुबन्ध "क"

(क) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ऊना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी गावों में कितनी–कितनी जनसंख्या थो, ब्यौरा गांववार, महिला व पुरूष की संख्या सहित निम्न अनुसार है:

Sr. No.	Name of Gram sabha	Village name	Total Population		
			Male	Female	Total
1	Arniala Upper	Arniala Upper	1223	1169	2392
2	Arniala Lower	Arniala Lower	1027	1018	2045
3	Lal singi	Lalsingi	1306	1205	2511
4	Malahat	Malahat	859	872	1731
		Bharolian Khurd	511	436	947
5	Tabba	Tabba	592	591	1183
		Jalgran	808	757	1565
		Rakkar Colony	1209	1176	2385
6	Behdala	Behdala Khas	963	938	1901
		Chaukhyal	587	599	1186
		Lamian	367	360	727
		Magalaya	275	278	553
7	Mehatpur	Jarai Mehatpur	764	716	1480
		Kalsehra	49	46	95
8	Bhatoli	Bhatoli Nichli	507	512	1019
		Bhatoli Uparli	614	596	1210
9	Jakhera	Jakhera	1193	1149	2342
10	Bangarh	Bangarh	1470	1134	2604
		Fatehwal	149	150	299
11	Ajouli	Ajouli	1154	1083	2237

		Bhatoli College	62	60	122
12	Binewal	Binewal	311	337	648
		Puna	262	259	521
13	Malookpur	Malookpur	260	260	520
14	Sanoli	Sanoli	1189	1203	2392
15	Majara	Majara	981	986	1967
16	Khanpur	Khanpur	633	650	1283
17	Nangran	Nangran Nichla	334	314	648
		Nangran Uperla	947	931	1878
18	Fatehpur	Fatehpur	483	480	963
19	Jankaur	Barsara	313	341	654
		Jankaur Har	200	205	405
		Jankaur Khas	400	402	802
20	Abada Barana	Abada Barana	465	438	903
21	Sunehra	Sunehra	336	284	620
22	Judowal	Judowal	672	711	1383
		Pekhuwela	524	353	877
23	Badehar	Badehar Uparla	300	260	560
		Badehar Nichla	588	525	1113
24	Kuthar Kalan	Kuthar Kalan	592	563	1155
25	Kuthar Khurd	Kuthar Khurd	497	456	953
26	Rampur	Rampur	908	817	1725
		Rampur Bela	225	207	432
27	Sasan	Sasan	661	653	1314
28	Bharolian Kalan	Bharolian Kalan	531	541	1072
29	Basoli	Basoli Nichli	802	776	1578
		Basoli Upperli	383	392	775
30	Raipur Sahoda	Raipur Nichla	627	581	1208
		Raipur Uparla	1195	1242	2437

31	Charatgarh	Charatgarh Nichla	181	200	381
		Charatgarh Uparla	1008	982	1990
32	Lamlehra	Lamlehra	326	320	646
33	Udaypur	Udaypur	314	325	639
34	Dehlan Upper	Bans Bounsre	412	419	831
		Dehlan Uparli	549	591	1140
		Aerian	498	493	991
		Badehar Urf Dehlan	445	467	912
35	Dehlan Lower	Aerian	772	765	1537
		Mahanta	27	23	50
		Badehar urf Dehlan	776	799	1573
36	Chharatpur	Chharatpur	675	660	1335

(ख) गांव से अलग पंचायत बनाने के सरकार द्वारा कोई मापदंड निर्धारित नहीं किए गए है परन्तु दिनांक 22.08.2020 को ग्राम सभा के पुर्नगठन/विभाजन हेतु सरकार द्वारा मापदंड निर्धारित किए गए हैं । सरकार द्वारा गठित की गई ग्राम पंचायतों हेतु निम्न अनुसार मापदंड निधारित किए गए हैः

गैर जन–जातीय क्षेत्रों हेतु मापदंड वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कम से कम जनसंख्या 2000 तथा इससे उपर है, परिवारों की संख्या जनवरी 2020 तक 500 तथा इससे उपर है, ग्राम पंचायत के वर्तमान मुख्यालय से सबसे दूर वाले गांव की दूरी 5 कि0मी0 या इससे ज्यादा है तथा गांव की संख्या 5 या इससे ज्यादा है। इसके साथ–2 शर्त यह है कि वर्तमान पचांयत तथा नव प्रस्तावित ग्राम पंचायत की जनसंख्या विभाजन के पश्चात न्यूनतम 1000 होनी चाहिए। इसी प्रकार जन–जातीय क्षेत्रों की उन ग्राम पचांयतों में से नई पंचायते बनाने की अधिसूचना जारी की गई है जिनकी जनसख्ंया 750 और इससे अधिक है इसके साथ–2 शर्त यह है कि वर्तमान पचांयत तथा नव प्रस्तावित ग्राम पंचायत की जनसंख्या विभाजन के पश्चात न्यूनतम 300 होनी चाहिए।

पिछडा क्षेत्र की पंचायतों के विभाजन हेतु अलग से मापदंड तय किए गए है जिनके अनुसार उन ग्राम पचांयतों से नई पंचायतों का गठन किया गया है जिनकी 2011 की जनगणना के अनुसार कम से कम जनसख्ंया 1800 तथा इससे उपर है, परिवारों की संख्या 400 या इससे उपर है, ग्राम

पंचायत के वर्तमान मुख्यावास से सबसे दूर वाले गांवों की दूरी 4 कि0मी0 या इससे ज्यादा हैं। इसके साथ–2 यह शर्त लगाई गई है कि वर्तमान पंचायत तथा नव प्रस्तावित ग्राम पंचायत की जनसंख्या विभाजन के पश्चात न्यूनतम 600 होनी चाहिए।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत सरकार अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे गांव या समीपस्थ गांव के समूह को जिनकी जनसंख्या एक हजार से कम न हो और पांच हजार से अधिक न हो, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सभा क्षेत्र गठित करने की घोषणा कर सकेगी और इसका मुख्यालय भी विनिर्दिष्ट कर सकेगीः

परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में सरकार, आदेश द्वारा किसी गांव को या समीपस्थ गांव के समूह को, जिसकी जनसंख्या 1000 से कम है, सभा क्षेत्र गठित करने की घोषणा कर सकेगीः

परन्तु यह और कि सरकार, भौगोलिक अवस्थिति, परिवहन और संचार के साधनों की कमी और प्रशासनिक सुविधा को सम्यक् रूप से ध्यान में रखने के पंचायत किसी गांव या समीपस्थ गांव के समूह में समाविष्ट क्षेत्र को, चाहे उसकी जनसंख्या एक हजार से कम हो या पांच हजार से अधिक हो, सभा क्षेत्र गठित करने की घोषणा कर सकेगी।

———————